मा. अ. आ.

प्रकरण कमांक–3570 / टीकमगढ़ / 2015

मा.

पूर्व पृष्ठ से:–

11.08.2015

प्रकरण में श्री बी एल लहुरिया, सहायक संचालक, शिक्षा, टीकमगढ एवं श्री राजमणि तिवारी, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, टीकमगढ़ उपस्थित हुये। दोनों से चर्चा की गई। उनके अनुसार दिनांक 28.06.2015 को छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। चूंकि छात्रा द्वारा अपना जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, समग्र आईडी व बैंक खाते की जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिये छात्रवृत्ति उसके खाते में स्थानांतरित नहीं हो पा रही थी। उसके द्वारा उक्त दस्तावेज एवं खाता नंबर माह जून,2015 में दिये जाने पर, उसके खाते में 700/–रूपये की छात्रवृत्ति की राशि जमा की जा चुकी है।

02. उपस्थित अधिकारियों के अनुसार अभी करीब 13 प्रकरण और ऐसे हैं, जिनमें छात्राओं को इसी कारण से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है और जैसे ही उनसे चाही गई जानकारी प्राप्त होगी, वैसे ही छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार उनके खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी।

03. आज प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति आवेदिका को भेजकर, उसकी प्रतिकिया बुलाई जाये।

04. अब यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 21.09.2015 को रखा जाये।

(डॉ.वीरेन्द्र मोहन कंवर)
कार्यवाहक अध्यक्ष
11.08.2015